न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 48/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. श्री बालूराम गुर्जर पुत्र मियाराम गुर्जर मैसर्स श्री न्यू देव कृपा किराणा स्टोर, रायपुर रोड, बोराणा तहसील रायपुर
– प्रार्थी		**––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51, 52 व 58

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 04.08.2022

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी बालूराम गुर्जर पुत्र मियाराम गुर्जर मैसर्स श्री न्यू देव कृपा किराणा स्टोर, रायपुर रोड, बोराणा तहसील रायपुर का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु मुंगफली तेल (Ridhi Nature Value) इत्यादि का विकय कर रहा था। बालूराम गुर्जर पुत्र मियाराम गुर्जर मैसर्स श्री न्यू देव कृपा किराणा स्टोर, रायपुर रोड, बोराणा तहसील रायपुर का विकेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् मुंगफली तेल (Ridhi Nature Value) के 15 किलो का एक सील्ड टिन मुंगफली तेल रखा हुआ था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने

न्याय निर्णय अधिकारी एव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)